09/11/21

प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021

"प्रशासन गांवो के संग अभियान– 2021" के अन्तर्गत न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश होने से पंचायत समिति, भूपालसागर में शिविर दिनांक 09.11.2021 शिविर स्थल ग्राम पंचायत, भूपालसागर में पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने स्वयं की ग्राम भूपालसागर में स्थित निजी खातेदारी की आराजियात 1226 मी. रकबा 0.04 है., आ.सं. 1227 मी. रकबा 0.0580 है., आ. सं. 2688/209 रकबा 0.21 है., आ.सं. 2689/208 रकबा 0.05 है. किता 4 रकबा 0.880 हैक्टेयर भूमियों पर मुकास्मिल निशानात नहीं होने से आये दिन विवाद होने से पत्थरगढ़ी करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। शिविर स्थल पर हल्का पटवारी से मौका स्थिति के बारे में जानकारी ली गई हल्का पटवारी ने बताया कि मौके पर सीमा निशानात नही होने से पत्थरगढ़ी करवाई जाना उचित है। पत्रावली के अवलोकन के पश्चात प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 स्वीकार किया जाकर ग्राम भूपालसागर में स्थित निजी खाते की आराजियात संख्या 1226 मी. रकबा 0.04 है., आ. सं. 1227 मी. रकबा 0.0580 है., आ.सं. 2688/209 रकबा 0.21 है., आ.सं. 2689/208 रकबा 0.05 है. किता 4 रकबा 0.880 हैक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2021.11.10 15:58:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर०ए०एस०)

क्रमांक/राजस्व/प्र०गां०सं०अ० 2021/प.(01/2021) दिनांक :–09.11.2021

निमित,

प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021

तहसीलदार
भूपालसागर

विषय :– बाबत् पत्थरगढ़ी।

1. श्री मांगीलाल पिता रूपा बलाई निवासी भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1. श्री महेश कुमान पिता शांतिलाल बापना निवासी भूपालसागर
2. श्रीमती अनिता पत्नी महेशकुमार बापना निवासी भूपालसागर
3. श्री नानालाल पिता नेनचन्द कर्नावट निवासी भूपालसागर
4. श्री कालू पिता रूपा बलाई निवासी भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र संख्या :– 02/2021

–:: प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने पत्थरगढ़ी ::–

उपरोक्त अनवान से संबंधित प्रकरण में आपको 500/– रूपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाव आदेशित किया जाता है कि ग्राम भूपालसागर पटवार हल्का भूपालसागर तहसील भूपालसागर में स्थित आ.स. 1226 म रकबा 0.04 है. आ.सं. 1227 मी. रकबा 0.0580 है., आ.सं. 2688/209 रकबा 0.21 है. एवं आ.सं. 2689/208 रक 0.05 है. की उभय पक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित क चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढ़ी अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खडी न हो, एवं अन किसी न्यायालय मे कोई वाद लम्बित/विचाराधिन नहीं हो, तो पत्थरगढ़ी की जावें एवं कमिश्नरी शुल्क का रिका विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2021.11.10 15:58:20 IST
Reason: SelfAttested

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर जि. चित्तौड़गढ़ (राज.)